



-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 08.07.2024

कार्यालय

पुलिस

अधीक्षक

बांदा

❖ अवैध सूखे गांजे की तस्करी करने वाले अभियुक्त को थाना कोतवाली नगर व एसओजी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा किया गया गिरफ्तार। अभियुक्त के कब्जे से 11 किलोग्राम अवैध सूखा गांजा बरामद।

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री अंकुर अग्रवाल के कुशल निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही क्रम में थाना कोतवाली नगर व एसओजी की संयुक्त टीम द्वारा अवैध सूखे गांजे की तस्करी करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया। गौरतलब हो कि दिनांक 07.07.2024 की रात्रि को थाना कोतवाली नगर व एसओजी की संयुक्त टीम द्वारा गश्त एवं चेकिंग के दौरान थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के डीएम कालोनी रोड जीआईसी ग्राउण्ड के पास से अवैध सूखे गांजे की तस्करी करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से अवैध सूखा गांजा बरामद हुआ है। इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए अभियुक्त को मा0 न्यायालय भेजा गया।

बरामदगी-

➤ 11 किलोग्राम अवैध सूखा गांजा

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. रामबाबू गुप्ता पुत्र शिवप्रसाद गुप्ता निवासी परमानन्द चौक गांधी नगर कोतवाली नगर जनपद महोबा।

पंजीकृत अभियोग -

1. मु0अ0सं0 525/24 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. श्री पंकज कुमार सिंह प्र0नि0 कोतवाली नगर
2. श्री अनिल कुमार साहू प्रभारी एसओजी
3. उ0नि0 श्री परवेज अहमद चौकी प्रभारी सिविल लाइन
4. उ0नि0 श्री शुभम कौशिक
5. हे0कां0 संदीप कुमार
6. हे0कां0 अश्वनी प्रताप सिंह
7. कां0 गोकर्ण सिंह
8. कां0 अजय यादव
9. कां0 प्रतीक सिंह
10. कां0 मनीष मिश्रा
11. कां0 अमित कुशवाहा
12. कां0 सूर्याशू